

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.4(9)कृषि/ग्रुप-2/09/(नीति-2010)

जयपुर, दिनांक: 16/8/10

संशोधित आज्ञा

इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 09 जुलाई, 2010 के द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1963 के नियम 56ए के उपनियम (6) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निजी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारक को निजी मण्डी के रखरखाव एवं विकास हेतु निजी मण्डी से संप्राहित होने वाले मण्डी शुल्क की राशि में से 20 प्रतिशत राशि निजी मण्डी के अनुज्ञप्तिधारक को संदाय किये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त आज्ञा की प्रथम पंक्ति में अंकित "अधिनियम" के स्थान पर "नियम" एवं उप नियम "(6)" के स्थान पर उप नियम "(5)" प्रतिस्थापित किया जाता है।

आज्ञा सं.

६७

(अनिल गुप्ता)

शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

क्रमांक: प.4(213)निकृवि/नियमन/AWB/10/27991-28140

दिनांक: 31-8-10

राज्य सरकार की उक्तांकित संशोधित आज्ञा दिनांक 16.8.2010 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त शाखा प्रभारी अधिकारी, कृषि विपणन मुख्यालय, जयपुर।
2. सचिव, राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
3. क्षेत्रीय उप/सहायक निदेशक, कृषि विपणन विभाग, समस्त.....।
2. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति (समस्त)

प्रमाणित

अति. निदेशक
कृषि विपणन